

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 22.10.2020 को नारी सुरक्षा नारी सम्मान व महिला तथा बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान नारी सम्मान व सशक्तिकरण अभियान के दौरान सभाशंकर यादव थानाध्यक्ष चिल्हिया व उपनि0 नरेंद्र नाथ त्रिपाठी (एंटीरोमियो प्रभारी) व उपनि0 रवि कांत मणि त्रिपाठी द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका इंटर कॉलेज व मां गायत्री देवी इंटर कॉलेज करौदा नानकार में छात्राओं को एकत्र करके जागरूक किया गया तथा शासन द्वारा पारित दिशा निर्देश व 1090,1098,1076,181,108,102, डायल 112 तथा एंटी रोमियो के बारे में जागरूक किया गया तथा छात्राओं को सुरक्षा के प्रति अडिग रहने व किसी प्रकार की उत्पीड़न पर सूचना देने हेतु निम्नलिखित टोल फ्री नंबर से अवगत कराया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 22-10-2020

मिशन शक्ति – नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन व सशक्तिकरण महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 22.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के क्रम में व श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महिला हेल्पडेस्क के तत्वाधान में श्रीमती मंजू सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन में शक्ति मिशन के तहत आदेश-निर्देशों के सम्बन्ध में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा के सम्बन्ध में श्री सिद्धेश्वरी इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में जानकारी दी गयी।

मु०अ०सं० 166/2020 धारा 379/411/414 IPC व मु०अ०सं० 156/2020 धारा 379/411/414 IPC के अंतर्गत दो वाञ्छित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही किया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर के दिशा निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी बांसी के पर्यवेक्षण के क्रम में श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा व पुलिस टीम खेसरहा द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज लोधी पुत्र रामदास लोधी ग्राम पोनी थाना बेलहर कला सांथा जनपद संतकबीरनगर।
2. रामजतन चौहान पुत्र रामकरन चौहान ग्राम छाता थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी का स्थान-

पंचमोहनी मोड़ बहद ग्राम पंचमोहनी।

बरामदगी का विवरण-

1. अभियुक्तगण के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 166/20 धारा 379/411/414 IPC से संबंधित चोरी के ट्रक में रखे गए कबाड़ व मुकदमा अपराध संख्या 156/2020 धारा 379/411/414 IPC से संबंधित मंदिर के घण्टे जो चोरी गए थे की बिक्री का बचा धन रुपया कुल 40100 ₹ व एक अदद तमंचा 315 बोर व कारतूस तथा एक अदद नाजायज चाकू बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह
2. उप निरीक्षक अजय कुमार यादव
3. हेड कांस्टेबल सुरेंद्र प्रसाद यादव
4. हेड कांस्टेबल विजय प्रकाश यादव
5. कांस्टेबल सिद्धार्थ सिंह
6. कांस्टेबल रणजीत यादव
7. कांस्टेबल गोपाल यादव

थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

एस०ओ०जी० टीम का विवरण-

1. एसओजी प्रभारी श्री पंकज कुमार पांडे
2. कांस्टेबल राजेश पांडे
3. कांस्टेबल आनंद पांडे

4. कांस्टेबल मृत्युंजय कुशवाहा
5. कांस्टेबल वीरेंद्र त्रिपाठी
6. कांस्टेबल अक्कीश सिंह
7. कांस्टेबल पवन तिवारी एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

नोट- ट्रक संख्या UP55T8048 जो दिनांक 18/10/2020 को मुण्डेरवा बस्ती ओवरब्रीज के पास से बरामद किया जा चुका है।

प्रेस नोट दिनांक 22.10.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में , श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी इटवा के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक श्री शमशेर बहादुर सिंह थाना गोलहौरा के नेतृत्व में आज दिनांक 22/10/2020 को अभियुक्त रामहित उर्फ पिंटू पुत्र चंद्रबली गुप्ता निवासी ग्राम बराव नानकार थाना गोलहौरा जनपद सि०नगर के पास से 12 बोर अवैध जिंदा कारतूस रखने की अपराध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं०168/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम में माननीय न्यायालय भेजा गया ।

नाम पता अभियुक्तगण-

1- रामहित उर्फ पिंटू पुत्र चंद्रबली गुप्ता निवासी ग्राम बराव नानकार थाना गोलहौरा जनपद सि०नगर गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमका विवरण-

1. उ०नि० श्री लीला यादव
2. उ०नि० राममिलन यादव
- 3-का०राजाराम यादव
- 4-का०अकित कुमार

